



षोडश
बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 27 आषाढ़, 1941 (श०)
18 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------|-----------|
| (1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .. | .. | <u>01</u> |
| | | कुल योग -- | <u>01</u> |

राशन कार्ड निर्गत करना

'क'-8. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन कार्यदिवस में अधिसूचित सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है, परन्तु दिनांक 15 अगस्त, 2011 से 25 नवम्बर, 2018 तक पूरे राज्य में राशन कार्ड हेतु 31,11,129 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से वर्तमान समय तक मात्र 17,54,541 ही राशन कार्ड निर्गत करने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 18 जुलाई, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

नोट--'क'-दिनांक 8 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थानांतरित ।